न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्र कुमार डांगा (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 16/2010

प्रार्थीगण :–

1. सोमाराम पुत्र मंगलाराम।
2. सुरेश पुत्र मंगलाराम।

दोनों जातियान भील निवासीगण ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मंगलाराम पुत्र गमाराम जाति–भील निवासी चानणा भाखर, जोशी कॉलोनी, जोधपुर।
2. राजेन्द्र मीणा पुत्र किशनलाल मीणा जाति–मीणा ग्राम–झालामण्ड तह. व जिला जोधपुर।
3. पूनाराम जांगीड़ पुत्र हरचन्दराम जाति–जांगीड़ निवासी–प्लॉट नं. 268 पावटा प्रथम पोलो, जोधपुर।
4. झमू देवी पत्नि करणाराम जाति–भील फौत के कायम मुकाम 4/1 करणाराम पुत्र नामालूम जाति–भील निवासी ग्राम डांवरा तहसील–ओसियां, जिला–जोधपुर।
5. गीता पत्नि बीरमराम पुत्री मंगलाराम जाति–भील निवासी चानणा भाखर, जोशी कॉलोनी, जोधपुर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी – श्री रोशनलाल।

अधिवक्ता अप्रार्थी – अनुपस्थित।

दिनांक 30.05.2019

आदेश

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नंबर 101/1 (नया) रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा की कृषि भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पैतृक खातेदारी की है। खसरा नंबर 101/1 (पुराना रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा) की भूमि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 5 के दादा तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व. गमिया उर्फ गमाराम पुत्र मोतीराम भील के नाम से दर्ज थी। खसरा

Scanned by CamScanner

नंबर 101/1 (पुराना) की भूमि पुस्तैनी होने के कारण प्रार्थीगण को जन्म से ही उपरोक्त भूमि में खातेदारी व मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये थे, परन्तु स्व. श्री गमिया उर्फ गमाराम की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण व प्रार्थीगण को सुनवाई का नोटिस नहीं दिये जाने के कारण व बिना विधिक प्रावधानों व विधिक उत्तराधिकारियों की जांच किये बगैर नामान्तरकरण संख्या 283 दिनांक 15.02.2001 को खोला गया व सिर्फ अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाईयों द्वारा अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दरामद करवा लिया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाईयों द्वारा खसरा नंबर 101/1 (पुराना) की भूमि का प्रशासन गांव के संग 2001 के शिविर में बंटवाड़ा कराया गया जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में खसरा नंबर 101/1(नया) रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा आया। बंटवाड़े के अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 291 भरा गया। वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बद्नीयति आ गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई गलती का नाजायज फायदा उठाते हुए कृषि भूमि खसरा नंबर 101/1 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा की सम्पूर्ण भूमि का बेचाननामा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित कर दिया जो बेचाननामा उप पंजीयक कार्यालय लूणी के यहां दिनांक 20.10.2004 को पंजीबद्धसुदा है।

विवादित भूमि में प्रार्थीगण को जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा इन्हीं अधिकारों के तहत प्रार्थीगण को अपने दादा श्री गमिया उर्फ गमाराम के देहान्त पर खसरा नंबर 101/1 (नया) में एक तिहाई–एक तिहाई हिस्सा कानूनी रूप से प्राप्त हो गया था, प्रार्थीगण के भूमि के हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान करने का कतई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत बेचान किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 4, प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण व बेरोकटोक कब्जे–काश्त व खातेदारी अधिकारों में दखलंदाजी कर सकते हैं जिसकी पूर्ण संभावना है, इसलिये यह घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के हिस्से का मीट्स व बाउण्ड्स से बंटवाड़ा नहीं करवाया हुआ है, इसलिये यह बंटवाड़े का दावा पेश किया जा रहा है ताकि प्रार्थीगण अपने 2/3 हिस्से का बाई मीट्स व बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवा सके तथा अपने बंट के हिस्से में शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त कर सकेंगे। प्रार्थीगण को विवादित जमीन में जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा प्रार्थीगण का विवादित जमीन पर कब्जा व काश्त है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से व खातेदारी की 2/3 कृषि भूमि का बेरोकटोक शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग व उपभोग कर रहे है, जिसमें अप्रार्थीगण को दखलंदाजी करने का कोई भी अधिकार नहीं है इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अप्रार्थीगण संख्या 3 ने अपना जवाब पेश किया कि ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी में खेत खसरा नंबर 101/1 (नया) रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा अवश्य आई हुई है परन्तु इस जमीन

Scanned by CamScanner

में प्रार्थीगण का कोई भी हक व हिस्सा नहीं बनता है, न ही प्रार्थीगण इस पैतृक भूमि कहने का अधिकारी है, प्रार्थना पत्र का बाकी फिकरा अप्रार्थी संख्या 3 को अस्वीकार है। अलबता प्रार्थीगण इसे साबित करें, उपरोक्त भूमि पहले मंगलाराम अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की थी जिसे मंगलाराम ने अप्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र मीणा को बेचान हस्तांतरित कर दी थी तथा अप्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र मीणा ने उपरोक्त जमीन को अपने मुख्तयार आम अप्रार्थी संख्या 3 पूनाराम जांगिड़ के द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 झमू देवी को आगे से आगे बेचान हस्तांतरण के कब्जा सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थीगण को कोई भी खातेदारी अधिकार इस भूमि में ना तो पहले थे और ना ही अब है, मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के कहने से हैरान व परेशान करने व रूपये ऐंठने की गरज से ही ये झूठा दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो काबिल खारिज है।

खसरा नंबर 101/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि मंगलाराम अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में थी, उसी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र मीणा ने वादग्रस्त जमीन को खरीद किया था। अप्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र मीणा ने उपरोक्त जमीन को क्रय करने के बाद अपने नाम खातेदारी म्यूटेशन आदि कराये व इस जमीन को बेचान आदि करने के लिए अप्रार्थी संख्या 3 पूनाराम जांगीड़ ने अप्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र मीणा के मुख्तयार आम की हैसियत से दिनांक 20.09.2005 को उपरोक्त जमीन का बेचान नामा श्रीमती झमूदेवी पत्नी श्री करपाराम भील निवासी ग्राम डांवरा तहसील ओसियां को कर दिया व कब्जा व सभी अधिकार राजेन्द्र मीणा की ओर से अगली क्रेता पार्टी श्रीमती झमूदेवी अप्रार्थी संख्या 4 को हस्तान्तरण कर दिये इस प्रकार अब वादग्रस्त जमीन पर अप्रार्थी संख्या 2 राजेन्द्र मीणा का कोई भी लेना देना नहीं रह गया है।

हमने बहस प्रार्थना पत्र सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी द्वारा ग्राम भाकरासनी की जमाबन्दी संवत् 2058–61, नामान्तरकरण संख्या 283, 291 की छायाप्रति तथा बेचान नामा दिनांक 20.10.2004 की छायाप्रति प्रस्तुत की है एवं इस बेचाननामे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 342 की छायाप्रति पेश की है। प्रथम बेचाननामा मंगलाराम पुत्र गमाराम द्वारा राजेन्द्र मीणा के पक्ष में खसरा नं. 101/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा का बेचान होना बताया गया है तथा दूसरा बेचाननामा आम मुख्तयार पूनाराम जांगीड़ द्वारा राजेन्द्र मीणा के पक्ष में हुए बेचाननामे के आधार पर श्रीमती झमू देवी को बेचान होना बताया है। वर्तमान अभिलेख अनुसार यह पाया जा रहा है कि विवादग्रस्त भूमि सर्वप्रथम मंगलाराम द्वारा राजेन्द्र मीणा के पक्ष में तथा राजेन्द्र मीणा के आम मुख्तयार पूनाराम जांगीड़ द्वारा यह भूमि झमू देवी को बेचान हुई है। प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण को यह बताना होगा कि प्रथम दृष्टया मामला जैसा कि हमने उपर यह वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा यह भूमि अलग–अलग बेचाननामों से प्राप्त हुई है एवं उनके नाम से बतौर खातेदार के दर्ज है प्रार्थीगण यह सिद्ध

Scanned by CamScanner

नहीं कर पाये है कि उनके पक्ष में किस प्रकार से मजबूत एवं सुदृढ़ पक्ष है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के बनिस्पद अप्रार्थीगण के पक्ष में है। जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रसंग है, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि जो राजस्व अभिलेख एवं पंजीबद्ध दस्तावेज की छायाप्रति से अप्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन होना पाया जा रहा है। इसी प्रकार अपूरणीय क्षति भी उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण को नहीं होकर अप्रार्थीगण को ही होगी। इन तमाम तथ्यों के विश्लेषण से हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वेग आधारों पर आधारित है जो काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(राजेन्द्र कुमार डांगा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

आदेश आज दिनांक 30.05.2019 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner